सवित्री बनाम पूर्णाराम आदि
वाद संख्या 2018/492
निर्णय दिनांकः–11.12.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार 1 आर.ए.एस.)

.वाद संख्याः– 2018/492 दर्ज तिथिः–17.07.2018

1. सवित्री पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये मुख्तयार मोहर सिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम बूटियां, तहसील व जिला चूरू (राज)

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पूर्णाराम पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू
2. मुखराम पुत्र विधाधर जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू
3. लिछमा पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू
4. विमला पुत्री विद्याधर जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू
5. शिशराम पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राजस्थान)

.........................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री सुरेन्द्र बुडानियां
अप्रार्थीगणः–राजेन्द्र राजपुरोहित

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए राजस्थान काश्तकारी अधि. –1955

–:निर्णयः–

यह की प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यहकि प्रार्थीया सावित्री की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 934/890 तादादी 0.7588 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 933/890 तादादी 0.7588 हैक्टेयर कुल किता दो कुल तादादी 1.5176 हैक्टेयर वाके रोही मौजा बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, खसरा नम्बर 934/890 के वर्तमान खाता संख्या 367 व पुराने खाता संख्या 339 है। खसरा नम्बर 933/890 के वर्तमान खाता संख्या 338 व पुराना खाता संख्या 310 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:48 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 934/890 के पश्चिम दिशा में एक रास्ता सदामत से चला आ रहा है। जिसमें से फंटकर एक 20 फुट का रास्ता मुताबिक अनेक्चर ए प्रार्थीया व अन्य खातेदारों के खेत में जाता है। जो नजरी नक्शा के मुताबिक है। उक्त रास्ता से प्रार्थीया व अन्य से पूर्व खातेदार पैदल, उंटगाड़ा, ट्रेक्टर, ट्रॉली, जीप, पीक–अप एवं अन्य साधनों से आवागमन करते चले आ रहे है। जो काश्त के समय इसी रास्ते से अन्य खेत के खातेदारान आदि आवागमन करते रहे है तथा समय पर प्रार्थीया आवागमन करते रहे है तथा समय – समय पर प्रार्थीया उक्त रास्ते से ट्रेक्टर ले जाकर अपनी कृषि भूमि की जुताई करवाती थी। इसी रास्ते से अन्य रास्तों के खातेदारान आदि आवागमन करते रहे है तथा समय समय पर प्रार्थी उक्त रास्ते से ट्रेक्टर, ट्रोली, जीप, पिक–अप एवं अन्य साधनों से अपने अपने पशुओं के लिए हरा चारा एवं अन्य सामामन लाते थे। उक्त रास्ते से प्रार्थीया आवागमन करने के कारण मौके पर उक्त रास्ता सदामत से कायम चला आ रहा है, जो वर्तमान में 16.50 फुट चोड़ा आ रहा है। नजरी नक्शा में अंकित रास्ते से आवागमन चला आ रहा है, कभी कोई व्यवधान नहीं रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में जाने का, आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं, यही एक मात्र रास्ता है। नजरी नक्शा अनेक्चर ए में जो लाल स्याही से अंकित है, प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे।

3. यह कि अप्रार्थीगण बहुत ही लालची व झगड़ालु किस्म के व्यक्ति है, जो उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 05 प्रार्थीया के आवगमन में व्यवधान पैदा करने लगे है तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 05 आवागमन में अवरोध पैदा करने के लिउ रास्ते से आवागमन करते समय बेवज ही प्रार्थीनी को परेशनन करते है तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने से प्रार्थीया एवं उसके वारिसान को टोकते हैं। उक्त रास्ते की प्रार्थीया को आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है, उक्त रास्ता लघुतम है व पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी का खसरा नम्बर 536 एक ही था परन्तु कुछ खातेदारों ने अपने हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थीया को विक्रय कर दी एवं प्रार्थीया ने अपने खसरा अलग करवा लिया जिससे एक ही खसरा के कई टुकड़े हो गये है। अप्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में 535 खसरा की भूमि जोहड़ भूमि है, जिसमें से ग्राम बूंटिया से ग्राम डाबला जाने वाली आम पक्की सड़क जाति है और प्राथ्रीया उसी सड़क से अपने घर आकर अप्राथ्रीगण के खसरा संख्या 799/536, खसरा नम्बर 800/536 के बीच में से होकर अपने खेत में आवागमन करते है।

4. यह कि दिनांक 16.06.2018 को अप्रार्थीगण 01 ता 05 ने उक्त रास्ते पर कटीले तार लगाकर रास्ते को राका है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को दिनांक 17.06.2018 को कहा एव कहलवाया कि वो तार हटा देवे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवा लेवे लेकिन वो इंकार दिनांक 22.06.2018 को साफ इंकार हो गये। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीया उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु श्रीमानजी के समक्ष चाराजोई करे।

5. यह कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो उकत रास्तो को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती करा देवें मगर अप्रार्थीगण टालमटोल करते चले आ रहे हैं तथा दिनांक 22.06.2018 को रिकॉर्ड दुरूस्ती करने से, रास्ता कायम करवाने [illegible] कारण दिनांक 22.06.2018 को वाद हैतुक पैदा हुआ है। प्राथ्रीया वादगत [illegible] के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:48 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय के पावर व पजेशन में है तथा प्राथना पत्र स्वीकार होने की सूरत में स्वीकार के अनुसार अंकन भी तहसीलदार महोय के माध्यम से ही होनी है। इसलिए प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकुल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि विवादित रास्ता बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार का है तथा निर्धारित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:–

(क)कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 933/890 तादादी 0.7588 हैक्टेयर खसरा नम्बर 933/890 तादादी 0.7588 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल तादादी 1.5176 हैक्टेयर में पश्चिम दिशा में नजरी नक्शा अनेक्चर ए के अनुसार कटाणी रास्ता, नया रास्ता कायम किया जावे तथा तहसीलदार महोदय चूरू को आदेशित किया जावे कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर प्रार्थीया हो या दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र हो जावे वो प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश कर जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि

1. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 01 पर कोई एतराज नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 असत्य वर्णित होने से स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया के खेत में आने–जाने का अलग से सार्वजनिक रास्ता है और प्रार्थीया लालच वश रास्ते के नाम पर अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों पर कब्जा काश्त करना चाहती है जो गलत व गैर कानूनी होने से अप्राथ्रीगण ने कोई सहमति प्रार्थीया को नही दी जिस कारण प्रार्थीया ने न्यायिक कार्यवाही का दुरूपयोग कर झुठा मुकदमा पेश किया है जिसमें नजरी नक्शा भी गलत व आधा–अधूरा हाने से अस्वीकार किया जाता है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 03 जिस प्रकार से वर्णित है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया के कृषि भूमि पर आने जाने के लिए सार्वजनक पक्की सड़क मौजूद है और प्रार्थीया जान–बूझकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर प्रवेश कर उसके काश्त में रूकावट पैदा करना चाहती है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 04 असत्य वर्णित होने से अस्वीकार की जाती है । प्रार्थीया जबरन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर प्रवेश कर रास्ते के नाम पर कब्जा काश्त करना चाहती है।
5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 05 असत्य वर्णित होने से अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीया कब्जा काश्त की भूमि पर रास्ते के नाम पर कब्जा करना चाहती है अैर प्रार्थीया की गलत इच्छा के आधार पर अप्रार्थीगण के स्वामित्व कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने के लिए अलग से पक्की सड़क मौजूद है जिस कारण प्रार्थीया को वाद हेतुक वादाधार हासिल नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:48 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र का उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस कानूनन आवश्यक होता है जिसके अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर ही काबिले खारीज है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकर से सम्बन्धित है जिस पर अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

अतः अप्रार्थीगण का जबाब मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र भारी खर्चे से खारिज फरमाया जावे और प्रार्थीया द्वारा न्यायिक कार्यवही के दुरपयोग करने के कारण भारी जुर्माने से दण्डित फरमाने की कृपा है।

तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट मंगवाई गई रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये दूरभाष सूचित किया गया जिस पर उन्होने फोन पर ही असहमति जाहिर की अप्रार्थी विमला, शीशराम, लिछमा से सम्पर्क नहीं हो पाया। वादपत्र के संलग्न अनेक्चर ए अनुसार खसरा नम्बर 933/890 व 934/890 में जाने हेतु खसरा नम्बर 800/536, 899/536, एवं 891/80 में से रास्ता (सदामत) जाना बताया गया है। वर्तमान में अनेक्चर ए में दर्शाया रास्ता मौके पर न चालू है व न ही रास्ते के निशानात मौजूद है। खसरा नम्बर 799/536, 800/536 के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 535 गै.मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है। खसरा नम्बर 535 के पश्चिम की सींव से बूंटीया–डाबला सड़क गुजरती है। वादिनी अपने खेत खसरा नम्बर 933/890 में जाने के लिए वर्तमान में खसरा नम्बर 537 में आवागमन करती है। मौके पर रास्ते आवाजाही के निशानात मौजूद है। खसरा नम्बर 537 से खसरा नम्बर 933/890 में से कूल दूरी 101 मीटर है जबकि खसरा नम्बर 799/536, 800/536, 891/801 में से जाने की दूरी 198 मीटर है। नजरी नक्शा व फर्द मौका तैयार कर रिपोर्ट के संलग्न की गई है। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी के अनुतोष अनुसार वादी के खेत खसरा नम्बर 933/890 चूंकि खेत खसरा नम्बर 933/890, 934/890, 799/536, 800/536, 891/801, एक ही मूल खसरा के टुकड़े है। इसलिए वादी द्वारा इन्ही टुकड़ो में से रास्ता चाहा गया है। जबकि खसरा नम्बर 799/536, 800/536, के खातेदार खसरा नम्बर 535 गै. मु. जोहड़ पायतन से अपने खेत में आवा–जाही कर रहे है। वर्तमान में खसरा नम्बर 933/890, की वादिनी खातेदार खसरा नम्बर 537 में से आना–जाना कर रही है। खसरा नम्बर 537 के खातेदार संलग्न जमाबंदी अनुसार है।

वादी द्वारा चाहा रास्ता सुविधाजनक उपयोग का न होकर आत्यंतिक आवश्यकता का मामला है। रूट ए व रूट बी दर्शाकर नजरी नक्शा संलग्न है। रूट ए से प्रार्थी के खेत की दूरी लगभग 198 मीटर है, जबकि रूट बी अनुसार वादीनी के खेत की दूरी लगभग 101 मीटर रूट ए व बी में खसरा अंकन भी किया गया है। रूट ए व बी अनुसार पस्ताव है।

रूट ए	रास्ता प्रस्तावित ख.नं.	रास्ता में जानेवाली भूमि का रकबा	प्रस्तावित रास्ता में उत्तर खसरा व भूमि	प्रस्तावित रास्ते से दक्षिण भूमि खसरा नम्बर
	799/536	0.045	1.9784	–
	800/536	0.045	–	1.9784
	891/801	0.015	0.23	0.2609
रूट बी	प्रस्तावित खसरा नम्बर	रास्ता में जाने वाली प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ता के पूरब की भूम रकबा	प्रस्तावित रास्ता के पश्चिम की भूमि का रकबा
	537	0.05	[illegible]	1.0851

उपरोक्त प्रभावित खसरान मे 537 सड़क पर सि[illegible] है, [illegible]कि खसरा नम्बर 766/536, 800/536, 891/801 सड़क से दूर है। [illegible] है, सिंचित भूमि है। जबकि अन्य सभी प्रस्तावित खसरान [illegible] ग्राम बूंटीया की सड़क से दूर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सवित्री बनाम पूर्णाराम आदि
वाद संख्या 2018/492
निर्णय दिनांकः–11.12.2025

असिंचित डीएलसी रेट 345000 प्रति हैक्टेयर सड़क से दूर सिंचित 754000 प्रति हैक्टेयर, सड़क पर असिंचित 587000 प्रति हैक्टेयर है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रूट ए के अनुसार रास्ता कायम किये जाने निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर गौर करने पर तथ्य इस प्रकार परिलक्षित होते है कि वादीनी ने धारा 251–ए के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उसकी कृषि भूमि खसरा संख्या 933/890 व 934/890 तक पहुंच हेतु पश्चिम दिशा में स्थित एक पुराना सदामती रास्ता है जिसे अप्रार्थीगण संख्या 01 व 05 ने 16.06.2018 को तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया वादीनी का खेत में जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम किया जाए। अप्रार्थीगण ने कहा कि वादीनी के खेत तक सार्वजनिक पक्की सड़क से आने–जाने का रास्ता पहले से मौजूद है, वादीनी गलत उद्देश्य से उनकी भूमि पर रास्ता चाहती है अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाए।

राजस्व निरीक्षक/पटवारी ने मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। मौका रिपोर्ट एवं तथ्य निष्कर्ष पटवारी/RI रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के खेत (933/890 व 934/890) हेतु दो संभावित मार्ग मिले रूट A और रूट B है। रूट–A खसरा 799/536, 800/536, 891/801 से होकर दूरी लगभग 198 मीटर है तथा रूट–B खसरा 537 से होकर दूरी लगभग 101 मीटर है। रूट–B पर मौके पर मौजूदा आवाजाही के स्पष्ट निशानात पाए गए।

धारा 251–A की आवश्यक शर्तें इस प्रकार है कि

1. प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. रास्तें हेतु लघुतम दूरी।

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार हालांकि प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अनेक्चर के अनुसार रास्ता खसरा संख्या 891/801, 800/536, 535 से होकर बूटिया– डाबला सड़क को जोड़ने वाले रास्ते में खसरा संख्या 535 जोहड़ पायतन की भूमि है व प्रार्थीया के खेत से दूरी 198 मीटर है जबकि रूट–B की दूरी 101 मीटर न्यूनतम है एवं खसरा संख्या 537 से वादीनी के पूर्व से ही आवाजाही के निशानात मौजूद हैं परन्तु प्रार्थी की ओर से न तो खसरा संख्या 537 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया तथा ना ही रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अलग से कोई संशोधित अनुतोष चाहा गया है जबकि यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित अनेक्चर के अनुसार ही रास्ता कायम किया जावे। रूट–ए के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए आर. टी .ए. के विधिक प्रावधानों तहत कवर नहीं होने से प्रार्थी का प्रर्थाना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

निर्णय

उपर्युक्त समस्त तथ्यों, पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, पक्षकारों के कथन तथा धारा 251–A, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों पर विचार करने से प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. के विधिक प्रावधानो के तहत कवर नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुनिल कुमार 1) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू